# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–55 (लो0सू0अ0)/2022–23
डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला–पटना
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 28.10.2022 | डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला–पटना के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–21.10.2022 इस कार्यालय में दिनांक–26.10.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।<br>अपीलकर्त्ता डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–05.09.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।<br>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–05.09.2022 की प्रति भी संलग्न की है।<br>बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की मॉग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।<br>सभी संबंधित को सूचित करें तथा अभिलेख पुनः 15.11.2022 को उपस्थापित करें।<br>28/10/2022<br>विशेष कार्य पदाधिकारी<br>–सह–<br>प्रथम अपीलीय प्राधिकार | |

## अपील वाद संख्या–55/2022–23

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 15.11.2022 | अपीलार्थी डॉ॰ अरविन्द्र कुमार शर्मा से अपील शुल्क के रूप में 10/–रू॰ का पोस्टल आडर संख्या–59F 823125 प्राप्त है। इसे लेखा शाखा को अग्रतर कार्रवाई हेतु हस्तगत करायें। वे सुनवाई के दौरान आज उपस्थित हैं।<br>उनके द्वारा अपने प्रपत्र 'क' दिनांक–05.09.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की मॉग की थी:–<br>''..... विश्वविद्यालय अधिनियम के उपर्युक्त दोनों प्रावधानों के अधीन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से स्थानान्तरित वित्तीय परामर्शी की सेवानिवृति के पश्चात की गयी नियुक्ति के समय राज्यपाल सचिवालय को प्राप्त/उपलब्ध कराये गये बायोडाटा तथा उसके आधार पर की गयी नियुक्ति से संबंधित संचिका के टिप्पणी तथा पत्राचार भाग के पृष्ठों की अभिप्रमाणित छायाप्रति Whistle Blowers Protection Act 2011, लोकहित तथा राज्य हित में, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में विहित प्रावधानों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय।''<br>उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उक्त मॉगी गई सूचना को तृतीय पक्ष का मानते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–11 के तहत तृतीय पक्ष को अपने पत्रांक–219 दिनांक–24.09.2022 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया था।<br>उक्त नोटिस के आलोक में तृतीय पक्ष श्री मधुसूदन द्वारा संबंधित सूचना गोपनीय दस्तावेज होने के कारण अपनी आपर्ति दर्ज की है तथा इसे लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को भेजा है।<br>लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष से प्राप्त आपत्ति संबंधित पत्र को अपीलार्थी डॉ अरविन्द्र कुमार शर्मा को अपने पत्रांक–226 दिनांक–28.09.2022 के माध्यम से भेज दिया है।<br>अपीलार्थी डॉ॰ शर्मा ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त संसूचना विधिवत सम्मत नहीं रहने के कारण यह प्रथम अपील दायर किया है।<br>विदित हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–11 के अनुसार '' Where a Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose any information or record, or part thereof on a request made under this Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within five days from the receipt of the request, give a written notice to such third party of the request and of the fact that the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose the information or record, or part thereof, and invite the third party to make a submission in writing or orally, regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information: Provided that except in the | |

case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.

धारा–11 (1) के तहत तृतीय पक्ष से प्राप्त सूचना को वैसी परिस्थिति में ही प्रकट किया जा सकता है, अगर लोकहित में हो तथा यह व्यक्ति के हितों के किसी संभावित हानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण हो।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह लोकहित का मामला कैसे है, चूंकि तृतीय पक्ष महालेखाकार कार्यालय से संभवतः सेवानिवृत है तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत है। इन दोनों जगहों से इनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का विवरण एवं अन्य विवरण प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह राज्यपाल सचिवालय/कुलाधिपति सचिवालय में संधारित किया जाने वाला अभिलेख नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सभी संबंधित को सूचित करें।

15/11/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–
प्रथम अपीलीय प्राधिकार